न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 63/2019

1– नन्दलाल पुत्र भींवराज जाति शर्मा निवासी सांवराद, हाल निवासी लाडनूं तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

..............अपीलान्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार, जरिये पटवारी हल्का लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर राजस्थान।

2– तहसीलदार लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री शेरसिंह जोधा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध आदेश मुकदमा नम्बर 22/2017 बअनुवान राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का लाडनूं बनाम रामनिवास निर्णय दिनांक 29.04.2019 अज अदालत तहसीलदार लाडनूं को अपास्त करने बाबत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक:07.12.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 22/2017 बअनुवान पटवारी हल्का लाडनूं बनाम नन्द लाल में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाडनूं ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 14–18 बीघा भूमि किस्म गै0मु0 खड्डा में से रकबा 00.04 बीघा भूमि पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

संवत 2074 में अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा दिवार बनाकर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.04 बीघा किस्म गैर मु0 खड्डा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.04 बीघा गैर मुमकिन खड्डा से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर 0.45 रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 5/– अक्षरे पांच रूपये कायम किया गया।

{3} –अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :–

{3}(1)–यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि चुनौतिग्रस्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.4.2019 को पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी को उसके प्रकरण में सम्पूर्ण पक्ष रखने एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर बिना कोई गोर फरमाये ही तथा बिना अपीलार्थी का पक्ष सुनने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.04.2019 निरस्त फरमाया जाने योग्य है।

{3}(3) –यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने जबाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न फेरियस्त दस्तावेज के अनुसार अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा क्रयसूदा भूमि को प्रार्थी अपीलार्थी स्वयं, मूलचन्द पुत्र जेठमल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सांवराद, राकेश शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राहमण निवासी गुणालिया के साथ शामिल में जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.04.2005 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 194 पृष्ठ संख्या 102 क्रम ांचसर 2119 उप पंजीयक कार्यालय लाडनूं में पंजीबद्ध द्वारा शंकरलाल पुत्र सोहनलाल जाति जांगीड़ निवासी सुजानगढ जिला चुरू राज0 से क्रय सुदा है। इमारती पटटा तत्कालीन जागीरदार ठिकाना लाडनूं द्वारा सम्वत 2000 का पोष बदी 13 का फलावट 5850 वर्गगज का सरावगी गंगवाल बच्छराज घमण्डीराम बेटा पोता सुखदेव के नाम से जारी किया हुआ है का भाग है। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र संख्या प–6''42'' राजस्थान 58 दिनांक 05.01.1993 के पैरा संख्या 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि तत्कालीन जागीरदार द्वारा जिस किसी भी भूमि को आबादी भूमि के रूप में हस्तान्तरित कर दिया गया है उसके संबंध में रेवेन्यू एक्ट के तहत किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं उठाया जा सकता । उपरोक्त पटटाधीन भूमिया आबादी कस्बा लाडनूं की भूमियां है जिस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार से कोई भी अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही करने का अधिकारीता व क्षेत्राधिकार न होते हुए भी उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(4) – यह है कि उक्त आलोच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो उक्त अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पदेन उप पंजीयक के रूप में भी कार्य करते है एवं अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान तथा पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपरोक्त आलौच्य आदेश मे वर्णित खसरा नम्र 1639 से संबंधित भूमियो का पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनेको पक्षकारों द्वारा समय समय पर हस्तान्तरित की जाकर विक्रय विलेखों को पंजीबद्ध किया जा चुका है एवं उपरोक्त विक्रय विलेखों के निष्पादन एवं पंजीबद्ध के समय अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पदेन उप पंजीयक के तौर पर हस्तान्तरित भूमियों का मौका निरीक्षण भी समय समय पर किया गया है एवं वक्त मौका निरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

पीठाशीन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट उपरोक्त खसरा नम्बर 1639 के आबाद व्यक्तियो के विरूद्ध कभी भी नहीं की गयी है। उक्त अतिक्रमण संबंधि रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा आपसी द्वैषता से ग्रसित होकर निराधार तथ्यों व कपोल कल्पित आधारों पर गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जिस पर अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद भी अपीलार्थी के उक्त दस्तावेजों पर बिना कोई गौर फरमाये ही प्राकृतिक न्याय व विधि की मंशा के विपरित जाकर आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

{3}(5)–यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 29.04.2019 में भू0अ0नि0 लाडनूं की रिपोर्ट दिनांक 29.04.2019 तथा अधीनस्थ न्यायालय पीठासीन अधीकारी तहसीलदार भू0 अ0 के आदेश भू0अ0/ 2017 / 1032–1038 दिनांक 08.4.2017 की पालना में प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1639 एवं उक्त खसरान की विभाजित भूमियो एवं खसरा नम्बर 1851 व 1852 जो कि आलोच्य आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 1639 के पास ही स्थित है के चारों ओर संघन आबादी क्षैत्र होना बताया है जिससे मुख्य या निश्चित प्रमाणित बिन्दू से माप नही करके मौके पर रास्तों की खुली भूमि से ही जरीब चलाया जाना बताया है जबकि उपरोक्त रास्ते वर्तमान में न तो मूल राजस्व रेकार्ड में दर्शित है एवं न ही मूल नक्शा सीट में तरमीम सूदा है तथा न ही उनके सही स्थान पर मुताबिक रेकर्ड में दर्शित रास्तों का प्रमाणित होना माना जा सकता है। जिससे यह साबित है कि बिना प्रमाणिक बिन्दू से जरीब चलाकर किया गया माप सघन आबादी के मध्य सही होना असम्भव ही है एवं गलत बिन्दू से किया गया माप के आधार पर सीमाज्ञान रिपोर्ट को प्रमाणित मानते हुये की गयी अतिक्रमण संबंधि कार्यवाही काबिले खारिज फरमाई जानी योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

{3}(6) –यह है कि आलोच्य आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 1639 के गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 में भी भूमि पर कब्जा काश्त तत्कालीन जागीरदार से प्राप्त पट्टाधारी बच्छराज के नाम दर्शाया गया है जो कि गिरदावरी एक राजस्व रिकॉर्ड

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

होकर सरकारी दस्तावेज है जिससे भी प्रमाणित हे कि उपरोक्त भूमि पर वर्तमान काश्तकारी व भू राजस्व अधिनियम के प्रभाव में आने लागू होने से पूर्व ही साधिकार कब्जा काश्त तत्कालीन समय के कब्जाधारी के पास ही था जिससे प्रमाणित माना जाना चाहिये है कि उपरोक्त आलोच्य आदेश में गलत रूप से वर्णित अतिक्रमित बताई जा रही भूमि पर शुरू से ही कब्जा अधिकार पट्टाधारी का था एवं उपरोक्त पट्टाधारियों द्वारा समय समय अन्य क्रेताओं के पक्ष में उक्त भूमि बाड़ा आधारित हस्तान्तरित कर दी गयी हस्तान्तरित होते होते प्रार्थीया अपीलार्थीया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के उपरोक्त भूमि को क्रय किया है तथा उपरोक्त भूमि को गिरदावरी सम्वत् 2013 में भी जागीर गैर मकबुजा के रूप में दर्शित किया गया है जो जागीर सम्पति होने के कारण तत्कालीन जागीरदार को उक्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के लिये पट्टा जारी करने का पूर्ण अधिकार था एवं उक्त अधिकारिता के तहत ही आबादी भूमि के रूप में पट्टा जारी किया गया था जो आबादी भूमि की आज दिन भी आबादी भूमि के रूप में ही उपयोग एवं उपभोग में ली जा रही है उपरोक्त भूमियों का समय पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बतौर पदेन उप पंजीयक के रूप में दस्तावेजों को पंजीकृत भी किया गया है। जिसके बावजद भी उक्त हल्का पटवारी की गलत तथ्यों के आधार पर अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश किये गए है जो सर्वप्रथम ही (न्याय दृष्टान्तों एवं कानूनी मशां अनुरूप) खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाये जावे।

{3}(7) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय आदेश में भू अभिलेख की हैसियत से जारी आदेश पत्रांक भू0अ0/2017/1032–1038 दिनांक 08.4.2017 के तहत गठित टीम द्वारा किये गये सींमाज्ञान रिपोर्ट को भी आधार माना है जबकि उपरोक्त सीमांज्ञान हेतु गठित टीम के समक्ष प्रार्थी अपीलार्थी ने अपनी अधिकारिता कब्जा अधिपत्य सूदा भूमि के सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे जो कि उक्त सीमाज्ञान टीम की रिपोर्ट में भी वर्णित किया गया है कि प्रार्थी अपीलार्थी अपने मालिकाना दस्तोजों के अनूसार मौके पर काबिज है एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश से उपरोक्त खसरान भूमि को समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तिसयों के पक्ष में उपरोक्त खसरान भूमि 1639 में से अधिकांश भूमियां गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने का आदेश भी प्रस्तुत किया था जो कुछ भूमियां आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं है जिसके बावजूद भी उपरोक्त सींमाज्ञान रिपोर्ट को आधार मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(8)–यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार भू.अ. की हैसियत से जारी पत्रांक भू0अ0/2017/1032–38 दिनांक 08.04.2017 के तहत गठित टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अतिक्रमण का आधार माना है जबकि उपरोक्त टीम द्वारा बिना किसी सीमा चिन्ह बिन्दू को निश्चित नहीं किये हुये ही सींमाज्ञान किया है जो उपरोक्त टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी अंकित है कि उपरोक्त क्षेत्र संघन आबादी क्षेत्र है जिस कारण गुगल मेप गुगल अर्थ, प्रो आदि सॉफ्टवेयर कम्प्यूटर की मदद लिया जाकर सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जबकि उपरोक्त आधारों पर तैयार की गयी सींमाज्ञान रिपोर्ट को कतई विश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि उपरोक्त कंम्प्यूटर सॉफ्टवेयर मात्र जानकारी प्रदत करने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिनके संबंध में राजस्व विभाग द्वारा अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कोई भी दिशा निर्देश, परिपत्र सरकुलर आदि जारी नहीं किये गये जानकारी प्रमाणिक कि तारिफ में नहीं आती है मात्र खानापूर्ति करने के लिये संयुक्त रूप से गठित टीम ने उक्त सीमांज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो बिना किसी प्रमाणित माप व आधुनिक प्रमाणिक के संयंत्रों के द्वारा तैयार की गयी होने के बावजूद भी उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का अभिन्न अंग माना है एवं प्रार्थी अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त अतिक्रमण मानते हुये बेदखली का आदेश प्रदान किया है जो कतई विधि सम्मत व राजस्व नियमों अधिनियमों के अनुकूल नहीं होने से काबिले निरस्त होने से निरस्त फरमाया जावे।

{3}(9) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.04.2017 के आधार पर उक्त अतिक्रमण संबंधी प्रकरण दर्ज कर उक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

बेदखली को आलौच्य आदेश प्रदान किया है जो हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी अपने आप में विरोधाभाषी कथन का वर्णन कर रही है उक्त रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा सम्वत 2074 में अपीलार्थी द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण करना बताया है तथा उक्त रिपोर्ट में भी अतिक्रमण पुराना होने का कथन किया है जो अपने आप में विराधाभाषी कथन है जबकि अपीलार्थी द्वारा एवं अपीलार्थी से पूर्व जो भी केतागण उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन रही भूमि के भू स्वामी रहे है उनके द्वारा उक्त कयसूदा भूमि में पक्के रहवासीय मकानात का निर्माण कर रखा है जो वर्षो पुराना है। प्रार्थी अपीलार्थी को बिना किसी वजह ही हैरान व परेशान करने की नियम से उपरोक्त आलौच्य आदेश अधीन प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(10)– यह है कि आलोच्य आदेश के अधीन रही भूमि खसरा नम्बर 1639 की भूमि रही है जो आबादी की भूमि है के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की गलत रूप से की गयी अतिक्रमण संबंधित रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया एवं उक्त प्रकरण का प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा फेरियस्त दस्तावेजों सहित जबाब प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था एवं प्रार्थी अपीलार्थी ने अपने जबाब में प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन भी किया कि उपरोक्त एक ही विषय वस्तु को लेकर पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है जो आदेश आज भी अंतिम आदेश के रूप में बने हुये है के बावजूद भी उपरोक्त प्रकरण दर्ज करना विधि के सिद्धान्तों के विपरित होकर रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से प्रभावित होने से उक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

{3}(11) –यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा तहसीलदार भू0अ0 की अधिकारिता से गठित सर्वे टीम तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर उपरोक्त आलोच्य प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया है जबकि उपरोक्त हल्का पटवारी सहित गठित सीमाज्ञान टीम ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि अपने मालिकाना दस्तावेजों के अनुसार मौके पर काबिज है इस सम्बन्ध में उनके द्वारा दस्तावेज पेश किये गये तथा सींमाज्ञान रिपोर्ट में सर्वे टीम द्वारा अपनी उपरोक्त सींमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.04.2017 में वर्णित भी किया है कि उपरोक्त खसरान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

भूमि के अधिकाश कब्जा धारियों के पक्ष में माननीय उपखण्ड अधिकारी के आदेश से आबादी हो रखी है परन्तु इसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं है के तथ्य सीमाज्ञान रिपोर्ट में अंकित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों व नियमों के विपरित जाकर पारित किया गया होने से खारिज फरमाया जाने योग्य है जो खारिज फरमाया जावे।

{3}(12) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका क्षेत्र लाडनूं के अधीन आने वाली खसरान भूमियां जो रा.भू.रा.अ. के प्रावधानों के विपरीत उपयोग उपभोग में की जा रही थी को पुर्नग्रहित कर तत्कालिक खातेदारानों अधिकारों को प्रयावसित कर भूमि को पुर्नग्रहित कर स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं के नाम दर्ज करवाये जाने की आम सूचना अपने पत्र क्रमांक 3691 दिनांक 27.01.2000 के द्वारा प्रकाशित करवाई थी उक्त नोटिस प्रकाशन में भी कस्बा लाडनूं के राजकीय भूमिया के खसरान भूमियों का प्रकाशन कराया गया था जो उक्त प्रकाशन में खसरा नम्बर 1639 की भूमि का प्रकाशन नहीं किया गया था चुंकि उक्त भूमि आबादी की भूमि होना स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं द्वारा माना गया था एवं उपरोक्त खसरा नम्बर में अधिकाश रहवास निवास करने वाले लागों को स्थानीय निकाय द्वारा निर्माण की अनुमति/तामिर निर्माण की अनुमति/स्वीकृति तथा मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली पानी सड़क आदि निर्माण कार्य की स्वीकृति/अनापति भी स्थानीय निकाय द्वारा समय समय पर प्रदान की जाती रही है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा उपरोक्त स्थानीय निकाय की स्वीकृति से पक्के निर्माणात कर रहवास एवं निवास करने वाले अपीलार्थी के अलावा अन्य लोगों के विरूद्ध भी अतिक्रमण संबंधि प्रकरण दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही की गयी है, जिससे भी उक्त आलौच्य अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

{3}(13) –यह है कि स्थानीय निकाय द्वारा उपरोक्त पटटाधीन भूमियों में रहवास एवं निवास कर रहे व्यक्तियों से गृहकर के रूप में राशि भी वसूल समय समय पर की जाती रही है जो अपीलार्थी सहित अन्य उपरोक्त खसरान भूमि खसरा नम्बर 1639 में रहवास निवास कर रहे अड़ौस पड़ौस के व्यक्तियों द्वारा भी समय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

समय पर गृहकर रूप में स्थानीय निकाय को राशि अदा की जाती रही है। सहवन से उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से गैर मुमकिन खडडा दर्ज हो रखी है जो कि पूर्णतया गलत दर्ज हो रखी है एवं उक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल के आधार पर उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन खसरा नम्बर भूमि में रहवास एवं निवास कर रहे अपीलार्थी सहित अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो शुरू से खारिज फरमाया जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

[3](14) – यह है कि अपीलाधीन आदेश के अधीन रही भूमि जागीर सम्पति होने के कारण तत्कालीन जागीरदार को उक्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के लिये पटटा जारी करने का पूर्ण अधिकार था एवं उक्त अधिकारिता के तहत ही आबादी भूमि के रूप में ही उपयोग एवं उपभोग में ली जा रही है उपरोक्त भूमियों का समय समय पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बतौर पदेन उप पंजीयक के रूप में दस्तोवेजों को पंजीकृत भी किया गया है जो पंजीयन के वक्त असल दस्तावेजो का भी निरिक्षण व सत्यापन किया जाता रहा है जिसके बावजूद भी उक्त हल्का पटवारी की गलत तथ्यों के आधार पर अतिक्रमण संबंधि कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश किये गये है जो सर्वप्रथम ही न्याय दृष्टान्तों एव कानूनी मशां अनुरूप खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाये जावें।

[3](15) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलौच्य आदेश की जानकारी होते ही अविलम्ब प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अन्य सुसंगत दस्तावेज जो कि प्रार्थी अपीलार्थी के वैद्य कब्जा आधिपत्य से संबंधित है को प्राप्त कर जानकारी तिथि से अविलम्ब अन्दर मियाद ही उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है एवं उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश के पारित करने की दिनांक एवं जानकारी तिथि से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में लगे समय को कण्डोन किया जाना न्याय संगत है जो उपरोक्त निर्णय से जानकारी होने से उसी रोज अधीनस्थ्रा न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतियां हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था एवं बाद प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर उपरोक्त अपील प्रार्थी अपीलार्थी को विधिक रूप से प्राप्त अपीलीय अधिकारों के तहत प्रस्तुत की जा रही है जो उपरोक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

समयावधि के कण्डोन हेतु मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हे तथा प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब मय फेरियस्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई गौर फरमाये ही उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य है।

(4) उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 11.07.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 15.07.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड उनके पत्र क्रमांक 716 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा प्राप्त हुआ।

(5)– अपीलान्ट ने दिनांक दिनांक 03.8.21 को प्रार्थना पत्र बाबत क्षेत्राधिकार पेश कर निवेदन किया की मातहत अदालत तहसीलदार लाडनूं द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में बेदखली आदेश पारित करने से पूर्व यह विचार नहीं किया कि विवादित भूमि का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है या नहीं? इस बिन्दू पर प्राथमिक रूप से बहस सुनी जाकर क्षेत्राधिकार के बिन्दू को निर्धारित निर्णय पश्चात ही अपील को अंतिम रूप से गुणावगुण के आधार पर सुनवाई करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट ने दिनांक 10.8.21 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01नियम 10 (2)सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने का पेश कर निवेदन किया। तथा इसी दिन एक और प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. भी पेश किया ।

अपीलान्ट की उक्त तीनो प्रार्थना प्रार्थना की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का व तीनो प्रार्थना पत्रो का अवलोकन व मनन करने के उपरान्त प्रार्थी के तीनों प्रार्थना पत्र (1)क्षेत्राधिकार (2) अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. तथा (3) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

10 (2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने बाबत अपीलान्ट के तीनों प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये गये।

[6] –प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि में नहीं पेश कर विलम्ब से पेश की है जिसके लिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश कर अपील को अन्दर मियाद करने हेतु निवेदन किया है। अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.7.2019 को प्रस्तुत की है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.4.2019 को किया गया। इस न्यायालय में अपील पेश करने की सीमा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से या जानकारी होने पर नकल लेने से एक माह की होती है। अपीलान्ट ने अपील की नकले 2.07.2019 को प्राप्त की तथा अपार्थी ने बताया कि उसे निर्णय की जानकारी पहले नहीं थी अतः निर्णय की जानकारी नकल लेने से हुई होने से अपीलार्थी को अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं ।

[7]– वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी में पूर्ण रूप से आबादी बस चुकी है तथा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से आबादी भूमि के रूप में खरीद की गयी है। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध तहसीलदार लाडनूं द्वारा अतिक्रमण हटाने की, की गयी कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस तथ्यो को दोहराते हुवे अन्त यह निवेदन किया है कि अपीलीय आधार पूर्ण रूप से अपीलान्ट के पक्ष में होने से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय

तहसीलदार लाडनूं द्वारा मुकदमा संख्या 22/17 बअनुवान हल्का पटवारी लाडनूं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

बनाम नन्दलाल में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2019 को खारिज फरवाने का आदेश प्रदान करावें।

{8} – बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात का अध्ययन किया गया । प्रकरण में तहसीलदार लाडनूं द्वारा कमेटी गठित कर रिपोर्ट प्राप्त की गयीं। तहसीलदार लाडनूं से दिनांक 09.07.2021 को प्राप्त वर्तमान मौका जांच रिपोर्ट अनुसार विचाराधीन भूमि कस्बा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 व उसके नये तरमीम अमल दरामद जमाबन्दी के अनुसार मौके पर अतिक्रमी श्री नन्दलाल पुत्र भींवराज कौम ब्राहमण के द्वारा 0.04 बिस्वा भूमि का खसरा नया तरमीम 1639 के नया खसरा नम्बर 2936/1639 गै0मु0 खड्डा भूमि व नये आबादी खसरों का मौके पर जांच की गई। नन्दलाल पुत्र भींवराज कौम ब्राहमण द्वारा 0.04 बिस्वा भूमि पर पक्की दीवार बनाई गई है। उक्त भूमि वर्तमान नये खसरों के अनुसार 2292/1639 गै0मु0 आबादी खसरा 1639/1 खसरा नम्बर 1639/2 गै0मु0 आबादी खसरा नम्बर 3011/1639 गै0मु0 आबादी खसरों के मध्य में स्थित है। जो वर्तमान में मौके पर नन्दलाल ने बताया गया कि उक्त भूमि उनकी क्रयशुदा आबादी पटटे की भूमि है। वह नया खसरों के अनुसार नन्दलाल पुत्र भींवराज के कब्जे की भूमि 0.04 बिस्वा बिना नम्बर खसरों के खसरा सरकारी नया 2936/1639 गै0मु0 खड्डा भूमि का हिस्सा है। जो राजस्व सरकारी गै0मु0 खड्डा भूमि है।

तहसीलदार लाडनूं की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि क्रय शुदा रजिस्ट्री व पुराना आबादी पटटा भूमि में से बताया है जिसकी रजिस्ट्री भी पेश की है। मौके के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 1639/1 खसरा नम्बर 1639/2 गै0मु0 आबादी खसरा नम्बर 3011/1639 गै0मु0आबादी के खसरों के मध्य में 04 बिस्वा भूमि है जिसमें चार दिवारी बनायी हुई है। इस भूमि के चारों तरफ मकानात आबादी बनी हुई है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश दस्तावेजात एवं नवीनतम राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेश व तरमीम की वास्तविक स्थिति की जॉच की जानी आवश्यक है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

:::: **आदेश** ::::

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.04.2019 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडनूं को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि सभी दस्तावेजात का सही सही पुनः परीक्षण जॉच एवं विश्लेषण कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)